प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति" State Level Sanctioning & Monitoring Committee (SLSMC) हेतु दिनांक: 09.06.2017 को आहूत पांचवीं बैठक की कार्यवाही।

बैठक की उपस्थितिः–

I. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार–सह–अध्यक्ष, SLSMC ।
II. अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग।
III. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
IV. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
V. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।

कार्यवाहीः–

सर्वप्रथम मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया। प्रधान सचिव महोदय द्वारा विषय प्रवेश कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिया गया। तत्पश्चात् सदस्यगण द्वारा बैठक की कार्यावली पर विस्तार से बिन्दुवार विमर्श किया गया।

समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न निर्णय लिये गएः–

1. गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गयी।
2. मिशन के सभी घटकों के क्रियान्वयन हेतु 41 निकायों का तैयार "हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन" (HFAPoA) को मार्गदर्शिका के कंडिका 14.5 के अनुसार समिति (SLSMC) के अनुमोदनोप्रान्त Central Sanctioning & Monitoring Committee (CSMC), भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाना है। उक्त के आलोक में 39 निकायों से अनुमोदित HFAPoA पर समिति का अनुमोदन दिया गया। दो निकाय यथा मझियांव एवं जमशेदपुर NAC के HFAPoA पर निकाय का अनुमोदन अप्राप्त है।
3. मिशन का चौथा घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (Vertical IV) हेतु SLTC द्वारा राज्य के 36 शहरी स्थानीय निकायों 16,772 एकल आवास निर्माण हेतु निकायवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष SLSMC द्वारा 25.05.17 को संचिका में दिया गया था। इस प्रस्ताव पर समिति द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

966
15.6.17

उक्त के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि निम्नवत् हैः–

No. of Dwelling Units	:	16772 Units
Central Assistance	:	Rs. 25158.00 Lakh
State Share	:	Rs. 12579.00 Lakh
Beneficiary Share	:	Rs. 22994.41 Lakh
Total	:	Rs. 60731.41 Lakh

अतः लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7C) पर वांछित सूचना के साथ–साथ विस्तृत परियोजना

Scanned by CamScanner

प्रतिवेदन (DPR) भारत सरकार (CSMC) को उपलब्ध कराए जाने पर समिति का घटनोत्तर अनुमोदन दिया गया।

4. मिशन का चौथा घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" हेतु एकल आवासीय निर्माण संरचना एवं प्राक्कलित राशि पर राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) की पांचवीं बैठक की कार्यवाही पर समिति का घटनोत्तर अनुमोदन दिया गया।

5. PMAY योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु क्षमता संवर्धन प्लान (Capacity Building Plan) तैयार किया गया है जिसकी कुल लागत राशि रु० 4196.87 लाख है। उक्त प्लान ऑफ एक्शन पर समिति का घटनोत्तर अनुमोदन दिया गया।

6. योजना के मार्गदर्शिका अंतर्गत आवास निर्माण में गुणवत्ता का अनुश्रवण करने हेतु तृतीय पक्ष गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (Third Party Quality Monitoring Agency) नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

भारत सरकार से द्वितीय किस्त की प्राप्ति हेतु TPQMA की अनुशंसा जरूरी होती है। चूंकि GoI द्वारा TPQMA चयन हेतु मूल मार्गदर्शिका प्राप्त नहीं हुई है इसलिए मूल मार्गदर्शिका के अनुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक समिति द्वारा सर्वश्री जुडको लि० को TPQMA के रूप में नामित करते हुए कार्य लेने का अनुमोदन दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

सरकार के मुख्य सचिव।
दिनांकः 15.6.17 /

ज्ञापांकः–7 / न०प्र०नि० / PMAY(HFA) / 01 / 2015-966

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.6.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

Scanned by CamScanner